

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी  
प्रमुख सचिव,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
उत्तर प्रदेशशासन।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक  
समस्त राजकीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 223/पी०एस०एम०एच०/2019

लखनऊ: दिनांक 19, दिसम्बर, 2019

विषय : राजकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान लाभार्थियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयुष्मान भारत—प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का क्रियान्वयन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी चिकित्सालयों अथवा आबद्ध निजी चिकित्सालय के माध्यम से प्राप्त हो सकें। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 1.18 करोड़ परिवार एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 8.5 लाख परिवार आच्छादित हैं। इस प्रकार दोनों योजनाओं से लगभग 6.32 करोड़ लाभार्थी आच्छादित हैं, जो प्रदेश की 22.6 करोड़ की अनुमानित आबादी का लगभग 27.96 प्रतिशत है।

योजना की समीक्षा में यह पाया गया कि आरम्भ से अब तक लगभग 2.59 लाख लाभार्थियों के इलाज हेतु प्री-ऑथराइजेशन हुआ है जिसमें से सरकारी चिकित्सालय (जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) में मात्र 34,802 लाभार्थियों ने इलाज कराया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में ही माह अक्टूबर तक जिला चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 57.87 लाख रोगियों को भर्ती करते हुए इलाज किया गया है।

उपरोक्त आँकड़ों से यह संकेत मिलते हैं कि एक बड़ी संख्या में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों ने सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज कराया, परन्तु विभिन्न कारणों से उनकी लाभार्थी के रूप में पहचान न होने के कारण वह योजना की प्रगति में सम्मिलित नहीं हो सके। फलस्वरूप बड़ी संख्या में इन लाभार्थियों का Pre-authorization नहीं हो सका व सम्बंधित चिकित्सालयों को भी इन मरीजों के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई।

यह भी प्रकाश में आया है कि जिन राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती होने वाले मरीजों की शत प्रतिशत स्क्रीनिंग करते हुए आयुष्मान लाभार्थियों की पहचान की गई है तथा पृथक आयुष्मान वार्ड स्थापित कर के उनको बेहतर सुविधा दी गयी है, वहाँ योजना के लाभार्थियों की संख्या में सराहनीय प्रगति हुयी है।

अतः यह आवश्यक है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को अधिक से अधिक सरकारी चिकित्सालयों की तरफ आकर्षित किया जाये तथा चिकित्सालय में भर्ती होने वाले रोगियों में से आयुष्मान लाभार्थी की पहचान करते हुए उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन आयुष्मान भारत योजना से आबद्ध विभिन्न चिकित्सालयों में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित मरीजों को विशिष्ट सुविधाएं निम्नलिखित प्रकार से दी जाएगी:-

1- ओपीडी में पर्चा बनाने के लिए पृथक से एक काउण्टर आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। इस काउण्टर पर गोल्डेन कार्ड/प्लास्टिक कार्ड दिखाने पर प्राथमिकता से ओपीडी स्लैप निर्गत होंगे और अगर लाभार्थी के पास गोल्डेन कार्ड नहीं है तो उसका तत्काल गोल्डेन कार्ड बनवाया जायेगा।

2- चिकित्सालयों में हो रही विभिन्न प्रकार की जॉचे/डायग्नोसिक्स (पैथॉलॉजी/एक्सरे/अल्ट्रा साउण्ड/सीटी स्कैन) इत्यादि में लाभार्थियों को वरीयता दी जाएगी।

3- लाभार्थियों के लिए पृथक से वार्ड स्थापित किया जाएगा जो उनके लिए आरक्षित होगा। पृथक वार्ड का निर्माण इन योजनाओं के लाभार्थियों के उपचार के उपरान्त प्राप्त प्रतिपूर्ति धनराशि (पैकेज धनराशि) से किया जा सकेगा।

4- इमरजेन्सी/इनडोर भर्ती की पर्ची पर आयुष्मान लाभार्थी (हाँ/नहीं) प्रिन्ट कराया जाये। पहले से उपलब्ध भर्ती की पर्चियों पर आयुष्मान लाभार्थी (हाँ/नहीं) की मोहर लगाई जाये। भर्ती होने वाले प्रत्येक मरीज की अनिवार्य रूप से डाटाबेस में स्क्रीनिंग करते हुए आयुष्मान लाभार्थी की पहचान की जाये तथा उन्हें योजनान्तर्गत पंजीकृत करते हुए योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाये।

मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उपरोक्त कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायें जिससे कि राजकीय चिकित्सालयों में योजना के अंतर्गत बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

(डा० देवेश चतुर्वेदी )  
प्रमुख सचिव

पत्रांक : /पी०एस०एम०एच०/2019 , तददिनांक।

प्रतिलिपि :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।

(डा० देवेश चतुर्वेदी )  
प्रमुख सचिव